


झारखण्ड सरकार  
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग  
अधिसूचना


राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सफल क्रियान्वयन एवं व्यापक अनुश्रवण हेतु एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता है। उक्त के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 15 (i) के प्रावधानों के अधीन शिकायतों के निवारण हेतु जिला स्तर पर संबंधित जिला के अपर समाहर्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(रवि रंजन)

सरकार के विशेष सचिव।


ज्ञापांक- खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (DGRO)/7-15/2015 2853/राँची, दिनांक- 26.05.15  
प्रतिलिपि- अधीक्षक राजकीय प्रेस, डोरण्डा, राँची को इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अग्रसारित।

  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (DGRO)/7-15/2015 2853 /राँची, दिनांक- 26.05.15  
प्रतिलिपि-राज्यपाल के प्रधान सचिव; झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राँची/सभी अपर समाहर्ता/सभी उप निदेशक (खाद्य)/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर/अपर समाहर्ता (आपूर्ति), धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड को सूचनार्थ अग्रसारित।

  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (DGRO)/7-15/2015 2853/राँची, दिनांक- 26.05.15  
प्रतिलिपि- सचिव, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, 16-20 बरखम्भा रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ अग्रसारित।

  
सरकार के विशेष सचिव।